भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1698
जिसका उत्तर मंगलवार, 02 जुलाई, 2019 को दिया जाएगा

आभूषणों की हॉलमार्किंग

1698. श्री बालक नाथः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सोने और चांदी के सभी आभूषणों हेतु हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पर्याप्त संख्या में हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना की गई है और यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन केंद्रों की सुविधाएं उपभोक्ताओं के लिए तथा उनके आभूषणों की जांच के लिए उपलब्ध होंगी; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जन चेतना का प्रसार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हो?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) : भारतीय मानक ब्यूरो, अधिनियम, 2016 में केन्द्र सरकार द्वारा बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हॉलमार्किंग के लिए समर्थकारी प्रावधान किए गये हैं।

(ख) : एसेइंग और हॉलमार्किंग (ए एंड एच) केन्द्र की स्थापना बाजार आधारित गतिविधि है जो उद्यमी द्वारा यथा मूल्यांकित वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। वर्तमान में, ए एंड एच केन्द्रों की कुल संख्या 830 है।

हॉलमार्किंग केन्द्रों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं। राजस्थान में 40 ए. एंड एच. केन्द्र हैं।

(ग) और (घ): जी, हां। कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के किसी भी मान्यताप्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग से देय शुल्क जो वर्तमान में 35 रुपये प्रति वस्तु है, का भुगतान करके अपने आभूषण का परीक्षण करवा सकते हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों के माध्यम से नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें से अधिकांश जागरूकता कार्यक्रम उपभोक्ता संगठनों के सहायोग से संचालित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम मानकीकरण के मुद्दों को उजागर करके उपभोक्ताओं की कोटि संचेतना में वृद्धि करने, बी.आई.एस. मानक चिह्न, स्वर्ण तथा चांदी की हॉलमार्किंग, उन्हें बी.आई.एस. के मानक चिह्न के दुरूपयोग तथा बी.आई.एस. मानक चिह्न के उत्पादों के लिए शिकायत प्रतितोष पद्धति के संबंध में शिक्षित करने पर मुख्य बल देते हैं।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में संचालित किए जा रहे उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

वर्ष	**उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम**
2016-17	166
2017-18	208
2018-19	182
2019-20 (मई, 2019 तक)	10

*****

अनुलग्नक

'आभूषणों की हॉलमार्किंग' के संबंध में लोक सभा के दिनांक 02.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1698 के भाग (ख) में उपयुक्त उल्लिखित विवरण

दिनांक 24 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार बी.आई.एस. से मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों का राज्य-वार वितरण

क्रम सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	40
2.	असम	05
3.	बिहार	24
4.	चंडीगढ़	03
5.	छत्तीसगढ़	06
6.	दिल्ली	40
7.	गुजरात	75
8.	गोवा	02
9.	हरियाणा	20
10.	हिमाचल प्रदेश	01
11.	जम्मू एवं कश्मीर	03
12.	झारखंड	08
13.	कर्नाटक	49
14.	केरल	66
15.	मध्य प्रदेश	15
16.	महाराष्ट्र	120
17.	ओडिशा	18
18.	पुदुचेरी	02
19.	पंजाब	21
20.	राजस्थान	40
21.	तमिलनाडु	89
22.	तेलंगाना	24
23.	त्रिपुरा	01
24.	उत्तर प्रदेश	63
25.	उतराखंड	01
26.	पश्चिम बंगाल	94
	कुल	**830**

****